

I/459674/2023

संख्या- ५३ /2023/385मु0मं0न0सू0यो0/नौ-2-2023/ 1775683

प्रेषक,

संजय कुमार तिवारी,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नगरीय निकाय निदेशालय,
उ0प्र0 लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग-2

लखनऊ : दिनांक 30 दिसम्बर, 2023

विषय: मुख्यमंत्री नगर सृजन योजनान्तर्गत विस्तारित नगर पंचायतों को धनराशि अवमुक्त करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-तक0सेल/405/28-मु0मं0न0सू0यो0/डी0पी0आर0/2023-24, दिनांक-28.10.2023, पत्र सं0-तक0सेल/456/28-मु0मं0न0सू0यो0/डी0पी0आर0/2023-24, दिनांक-10.11.2023, पत्र सं0-तक0सेल/470/28-मु0मं0न0सू0यो0/डी0पी0आर0/2023-24, दिनांक-21.11.2023, पत्र सं0-तक0सेल/433/28-मु0मं0न0सू0यो0/डी0पी0आर0/2023-24, दिनांक-19.12.2023 आदि का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से उक्त पत्र में उल्लिखित निकायों हेतु मुख्यमंत्री नगर सृजन योजनान्तर्गत नवसृजित/उच्चिकृत/सीमा विस्तारित निकायों को वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु धनराशि अवमुक्त करने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्यमंत्री नगर सृजन योजनान्तर्गत विस्तारित नगर पंचायतों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास तथा मूलभूत आवश्यक विकास/सुदृढीकरण हेतु वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-37 के संगत लेखाशीर्षक के अन्तर्गत अवशेष धनराशि से विस्तारित नगर पंचायतों की संलग्न सूची के अनुसार कार्य कराने हेतु कुल धनराशि रू0 362.843 लाख (रू0 तीन करोड़ बासठ लाख चौरासी हजार तीन सौ मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये प्रथम किश्त के रूप में धनराशि रू0 348.00 लाख (रू0 तीन करोड़ अड़तालीस लाख मात्र) अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

नियम व शर्तें /प्रतिबन्धों

1. स्वीकृत धनराशि निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश सं0-5/2023-बी-1-322/दस-2023, ई-पत्रावली सं0-10-5002/125/2021, दिनांक-02.05.2023 द्वारा दिये गये निर्देशानुसार सम्बन्धित निकाय को धनराशि नियमानुसार उपलब्ध करायी जायेगी।
2. इस सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-1489/नौ-2022-84ज/22, दिनांक-08.08.2022 के माध्यम से निर्गत मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना के दिशा-निर्देशों में निर्धारित प्रक्रियानुसार सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त सम्बन्धित निकायों को व्यय हेतु उपलब्ध करायी जायेगी।
3. धनराशि का आहरण राजकोष में तात्कालिक आवश्यकता होने पर ही किया जायेगा और धनराशि आहरित करके अनावश्यक रूप से बैंक/डाक घर में नहीं रखी जायेगी।
4. कार्यों हेतु निकाय स्तर पर गठित बोर्ड के अनुमोदनोपरान्त ही कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा।
5. अवमुक्त की जा धनराशि नियमानुसार टेण्डर की प्रक्रिया पूर्ण कराते हुए वर्क ऑर्डर निर्गत करने के उपरान्त ही निकाय द्वारा स्वीकृत कार्यों हेतु व्यय की जायेगी।

6. अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपभोग नियमानुसार स्वीकृत किये गये कार्यों पर ही व्यय की जायेगी।
7. कार्यों की मात्राओं के निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/निकाय का होगा।
8. धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप ही किया जायेगा।
9. प्रश्रगत कार्य करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर कार्य प्रारम्भ किये जायें तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने तथा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियों का क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही कार्य प्रारम्भ किया जाये।
10. कार्यों की विशिष्टियाँ, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी सम्बन्धित निगम की होगी तथा निगम द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्य निर्धारित समय सीमा/अवधि में ही पूर्ण हो जाये।
11. प्रश्रगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जाये। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा।
12. कार्य स्थल पर राज्य स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा नियत 'डिस्टले बोर्ड' पर कार्य का पूर्ण विवरण, कार्यदायी संस्था/कार्य प्रारम्भ होने की तिथि का उल्लेख किया जायेगा।
13. व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन तथा महालेखाकार, उ०प्र०, प्रयागराज को समयान्तर्गत उपलब्ध कराया जायेगा।
14. लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।
15. इस शासनादेश में वित्त विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन विभागों/उपक्रमों के वित्त नियन्त्रक/मुख्य/वरिष्ठ/लेखा अधिकारी अथवा सहायक लेखा अधिकारी जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तों में किसी प्रकार का विचलन हो, तो सम्बन्धित वित्त नियन्त्रक इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित तत्काल प्रशासकीय विभाग तथा वित्त विभाग को दी जायेगी।
16. सम्बन्धित निकाय द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्रगत कार्यों हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोतों से धनराशि स्वीकृत न की गयी हो तथा न ही वर्तमान में यह कार्य किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में सम्मिलित है। योजनान्तर्गत यदि किसी कार्य की द्विरावृत्ति होती है, तो सम्बन्धित अधिशासी अधिकारी तथा वित्त एवं लेखा संवर्ग के अधिकारी द्वारा शासन को सूचित किया जायेगा। अन्यथा की स्थिति में सम्बन्धित अधिकारी तथा वित्त एवं लेखा संवर्ग के अधिकारी का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जायेगा।
17. कार्यों के लिये स्वीकृत धनराशि का व्यय निविदा/कार्यदिश निर्गत होने की सीमा तक किया जायेगा तथा शेष धनराशि वापस राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित करेंगे।
18. संबंधित निकाय द्वारा किये गये अनुरोध के दृष्टिगत निर्गत की जा रही धनराशि में निर्णयोंपरान्त एक प्रतिशत ए०एण्ड०ओ०ई० मद की धनराशि सम्मिलित है। जिन निकायों द्वारा प्रत्येक कार्य की लागत में तीन प्रतिशत, आई०ई०सी० एवं ए०एण्ड०ओ०ई० मद की धनराशि शामिल की गयी है, उन

I/459674/2023

निकायों को केवल एक प्रतिशत ए0एण्डओ0ई0 मद में व्यय करने की अनुमति है। शेष धनराशि राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित करें।

19. निर्गत की जा रही धनराशि एक सप्ताह के अन्दर कार्य प्रारम्भ करने हेतु निकायों को उपलब्ध करायी जाये।

20. निर्गत की जा रही धनराशि से निकायों द्वारा 03 माह के अन्दर कार्य पूर्ण कराते हुये कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र के साथ शासनादेश सं0-1489/नौ-9-2022-84ज/22, दिनांक-08.08.2022 में दिये गये निर्देशानुसार कार्यों की जांच आख्या, उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं मूल फोटोग्राफ्स निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय एवं शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

21. इस सम्बन्ध में शासनादेश सं0-1489/नौ-9-2022-84ज/22, दिनांक-08.08.2022 के माध्यम से निर्गत मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना के दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। सम्बन्धित अधिशासी अधिकारी द्वारा समय-समय पर आवश्यकतानुसार कार्यों की जाँच कर गुणवत्ता सुनिश्चित की जायेगी। इस हेतु विकसित डैश बोर्ड पर योजना की भौतिक/वित्तीय प्रगति एवं फोटोग्राफ्स अपलोड किये जायेंगे।

22. प्रस्तावित कार्यों के संबंध में वित्तीय नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाये तथा मुख्यमंत्री नगर सृजन योजनान्तर्गत निर्गत मार्गदर्शी सिद्धान्त शासनादेश दिनांक-08.08.2022 के अन्तर्गत गठित समिति के माध्यम से सत्यापन भी करा लिया जाये।


23. समस्त निकाय द्वारा यह विशेष रूप से ध्यान रखा जायेगा कि किसी भी दशा में नवसृजित/विस्तारित नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद क्षेत्र में ही निर्माण कार्य किया जाय। इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी संबंधित जिलाधिकारी/अध्यक्ष, संबंधित निकाय/अधिशासी अधिकारी, संबंधित निकाय की होगी।

24. स्वीकृत की जा रही धनराशि के व्यय हेतु वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक-17.03.2023 की शर्तों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 3,48,00,000 (रुपये तीन करोड़ अड़तालीस लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 037 लेखा शीर्षक 2217801930400 उच्चिकृत/सीमा विस्तारित नगर पंचायतों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास मानक मद 35 पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/ 2023, दिनांक-17-मार्च, 2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,


(संजय कुमार तिवारी)
अनु सचिव।

I/459674/2023

**संख्या- ५३(१)/३८५मु०मं०न०सू०यो०/नौ-२-२०२३, तद् दिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-**

- (1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
- (2) महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
- (3) मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, जवाहर भवन, कोषागार, लखनऊ।
- (4) निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षक, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
- (5) निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- (6) संबंधित मण्डलायुक्त।
- (7) संबंधित जिलाधिकारी।
- (8) संबंधित अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/ नगर पंचायत द्वारा निदेशक।
- (9) निदेशक, क्षेत्रीय नगर एवं पर्यावरण अध्ययन केन्द्र, लखनऊ।
- (10) सहायक निदेशक, (वित्त), नगरीय निकाय निदेशालय, उ०प्र० लखनऊ।
- (11) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-९/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-१/२, उ०प्र० शासन।
- (12) कम्प्यूटर सेल, नगर विकास विभाग, उ०प्र० शासन को वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।
- (13) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,



(संजय कुमार तिवारी)
अनु सचिव।

शासनादेश संख्या-43/385मु0मं0न0सु0यो0-9-2-2023 कम्प्यटर सं0-1775683, दिनांक-30.12.2023 का अनुलग्नक

1- विस्तारित नगर पंचायत, रामनगर जनपद-बाराबंकी

(धनराशि लाख में)

क्रमांक	कार्य का नाम	प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति की धनराशि	निर्गत की जा रही धनराशि
1	2	3	4
1	विस्तारित क्षेत्र में वार्ड रानी-3 में स्थित प्राथमिक विद्यालय भरसवां में कायाकल्प का कार्य	13.433	13.433
योग		13.433	13.433
(रु० तेरह लाख तैतालिस हजार तीन सौ मात्र)			

2- विस्तारित नगर पंचायत, महरौनी, जनपद-ललितपुर

(धनराशि लाख में)

क्रमांक	कार्य का नाम	प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति की धनराशि	निर्गत की जा रही धनराशि
1	2	3	4
1	ललितपुर रोड से नाराहट रोड नहर तक सी०सी० निर्माण।	29.692	29.692
योग		29.692	29.692
(रु० उनतीस लाख उनहत्तर हजार दो सौ मात्र)			

3- विस्तारित नगर पंचायत, चोपन, जनपद-सोनभद्र

(धनराशि लाख में)

क्रमांक	कार्य का नाम	प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति की धनराशि	निर्गत की जा रही धनराशि
1	2	3	4
1	न० पं० चोपन के विस्तारित क्षेत्र वार्ड नं०-09 में पानी टंकी से संकठा पाठक के घर के पास तक सी०सी० रोड़ का निर्माण कार्य।	7.697	7.697

I/459674/2023

2	न0 पं0चोपन के विस्तारित क्षेत्र वार्ड नं0-02 में चन्दर साव के घर से प्रमोद के घर तक आर0सी0सी0 नाली व सी0सी0 रोड़ का निर्माण कार्य।	3.51	3.51
3	न0 पं0चोपन के विस्तारित क्षेत्र वार्ड नं0-08 गड़ईडीह में मुर्तजा के घर से जगरोपन के घर तक सी0सी0 रोड़ का निर्माण कार्य।	4.963	4.963
योग		16.170	16.170
(रू0सोलह लाख सत्रह हजार मात्र)			

4- विस्तारित नगर पंचायत, महौली, जनपद-सीतापुर

(धनराशि लाख में)

क्रमांक	कार्य का नाम	प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति की धनराशि	निर्गत की जा रही धनराशि
1	2	3	4
1	कंचनपुर में चंद्र प्रकाश के मकान से राम चंद्र भार्गव के मकान तक सीसी रोड व नाली का निर्माण कार्य।	13.708	13.708
2	गुजिया में मुनने मिश्रा के मकान से मनीष चतुर्वेदी के मकान तक सीसी रोड व नाली निर्माण कार्य।	22.534	22.534
3	गाजीपुर में गोपाल के मकान से अजयपाल के मकान तक सीसी रोड व नाली निर्माण कार्य।	15.539	15.539
4	जगन्नाथपुर में आर0सी0सी0 नाली निर्माण कार्य।	14.529	14.529
योग		66.310	66.310
(रू0 छियासठ लाख इकतीस हजार मात्र)			

5- विस्तारित नगर पंचायत, रेनूकूट जनपद-सोनभद्र

(धनराशि लाख में)

क्रमांक	कार्य का नाम	प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति की धनराशि	निर्गत की जा रही धनराशि
---------	--------------	--	-------------------------

I/459674/2023

1	2	3	4
1	न० पं० रेनुकूट के विस्तारित क्षेत्र वार्ड सं०-11 गुरूधाम कालोनी में आक्टागोनल पोल सहित 75-90 वाट एल०ई०डी० स्टीट लाईट की आपूर्ति व अवस्थापन का कार्य।	6.501	6.501
2	न० पं० रेनुकूट वार्ड नं०-13 में सोनांचल स्कूल के सामने हाईमास्ट लाईट के पास लोहे का स्टैण्ड पोस्ट लगाकर 5000 ली० पी०वी०सी० पानी टंकी व 2 एच०पी०सोलर पम्प लगाकर जल-आपूर्ति का कार्य।	6.172	6.172
3	न० पं० रेनुकूट वार्ड नं०-12 में शकुन्तला राय के घर के पास लोहे का स्टैण्ड पोस्ट लगाकर 5000 ली० पी०वी०सी० पानी टंकी व 2 एच०पी०सोलर पम्प लगाकर जल-आपूर्ति का कार्य।	5.241	5.241
4	न० पं० रेनुकूट वार्ड नं०-12 में राम सुरत/राघव गिरी के घर के पास लोहे का स्टैण्ड पोस्ट लगाकर 5000 ली० पी०वी०सी० पानी टंकी व 2 एच०पी०सोलर पम्प लगाकर जल-आपूर्ति का कार्य।	5.241	5.241
5	न० पं० रेनुकूट वार्ड नं०-11 में दीपू सिंह के घर के सामने चबूतरा के पास लोहे का स्टैण्ड पोस्ट लगाकर 5000 ली० पी०वी०सी० पानी टंकी व 2 एच०पी०सोलर पम्प लगाकर जल-आपूर्ति का कार्य।	6.172	6.172
6	न० पं० रेनुकूट वार्ड नं०- 10/12 में राधा-कृष्ण मंदिर के पास दोनों तिराहे का विकास एव सौन्दर्यीकरण का कार्य।	16.542	16.542
योग		45.87	45.87
		(रू० पैंतालीस लाख सत्तासी हजार मात्र)	

6- विस्तारित नगर पंचायत, ओबरा, जनपद-सोनभद्र

(धनराशि लाख में)

क्रमांक	कार्य का नाम	प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति की धनराशि	निर्गत की जा रही धनराशि
1	2	3	4
		6.542	6.542
		45.87	45.87

I/459674/2023

1	न.प. ओबरा उच्चा प्राथमिक विद्यालय बिल्ली विकाश खंड चोपन का कायाकल्प का कार्य	19.36	19.36
2	न प ओबरा के विस्तृत क्षेत्र वार्ड १४ में में सहाबुद्दीन के घर से मास्टर के घर तक नाली और सी सी सड़क का कार्य	7.07	7.07
3	न प ओबरा वार्ड १८ अग्रवाल नगर में रामचंद्र यादव के घर से वीडिय सागर के घर होते हुए बिल्ली स्कूल तक सी सी सड़क का कार्य	34.14	34.14
4	विस्तारित क्षेत्र न्यू कॉलोनी में बोर्ड बौंदरी से तोवर के नीचे से होते हुए बैजनाथ यादव के घर तक सी सी रोड का निर्माण कार्य	13.56	13.56
योग		74.13	74.13
(रू० चौहत्तर लाख तेरह हज़ार मात्र)			

7- विस्तारित नगर पंचायत, तम्बौर कम अहमदाबाद, जनपद-सीतापुर

(धनराशि लाख में)

क्रमांक	कार्य का नाम	प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति की धनराशि	निर्गत की जा रही धनराशि
1	2	3	4
1	वार्ड अहमदाबाद पूर्वी में वसीम के मकान से सलमान के मकान तक आर 0सी0सी0 नाली व सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य	27.461	27.461
	1% (ए० एण्ड ओ०ई०)	0.275	0.275
योग		27.461	27.461
(रू० सत्ताईस लाख छियालीस हज़ार एक सौ मात्र)			

8- विस्तारित नगर पंचायत, परसदेपुर, जनपद-रायबरेली

(धनराशि लाख में)

क्रमांक	कार्य का नाम	प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति	निर्गत की जा रही धनराशि
---------	--------------	--------------------------------	-------------------------

I/459674/2023

1	2	की धनराशि	4
1	वार्ड नंबर 04 के अंतर्गत मोहल्ला मटियरवा चौराहा में जौहरी मेडिकल स्टोर से पुलिश चौकी तक कवर्ड आर०सी०सी नाला का निर्माण कार्य	12.865	12.865
2	नगर पंचायत परशदेपुर में माता मिदुरिन मन्दिर से राधेश्याम के टावर तक सी० सी० रोड तक साइड कवर्ड का निर्माण कार्य	9.275	9.275
योग		22.140	22.140
		(रू० बाईस लाख चौदह हजार मात्र)	

9-विस्तारित नगर पंचायत, बीघापुर, जनपद-उन्नाव

(धनराशि लाख में)

क्रमांक	कार्य का नाम	प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति की धनराशि	निर्गत की जा रही धनराशि
1	2	3	4
1	प्रा० विद्यालय बीघापुर खुर्द की मरम्मत एवं सौन्दर्यीकरण का कार्य	10.459	10.459
2	विभिन्न वार्डों में 90 एल ई दी स्ट्रीट लाइट आपूर्ति कार्य	1.243	1.243
	1% (ए०एण्ड ओ०ई०)	0.117	0.117
योग		11.819	11.819
		(रू० ग्यारह लाख इक्कासी हजार नौ सौ मात्र)	

10-विस्तारित नगर पंचायत, अजमतगढ़, जनपद-आजमगढ़

(धनराशि लाख में)

क्रमांक	कार्य का नाम	प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति की धनराशि	निर्गत की जा रही धनराशि
1	2	3	4
1	मु० राजीव नगर (नया गाव मसोना) वार्ड न० 7 मे शंकर चौहान के मकान से प्रकाश चौहान के मकान होते हुए	25.94	19.78

I/459674/2023

रामदरश राय के जमीन के पास तक सी0सी0 रोड व नाली आर0सी0सी0 पटिया निर्माण कार्य		
योग	25.94	19.78
	(रू0 उन्नीस लाख अठहत्तर हज़ार मात्र)	

नोट:- उक्त निकाय को इस वित्तीय वर्ष में आवंटित की गयी कुल धनराशि के सापेक्ष सम्पूर्ण आवंटित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की जा रही है। कार्य को पूर्ण कराने हेतु अवशेष धनराशि रू0 6.16 लाख उक्त निकाय द्वारा स्वयं के स्त्रोत से वहन की जायेगी।

11-विस्तारित नगर पंचायत, सहपऊ, जनपद-हाथरस

(धनराशि लाख में)

क्रमांक	कार्य का नाम	प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति की धनराशि	निर्गत की जा रही धनराशि
1	2	3	4
1	नगर पंचायत सहपऊ के वार्ड संख्या 02 में हनुमान टीला रोड़ पर सामुदायिक हाल का निर्माण कार्य।	29.878	21.195
	योग	29.878	21.195
		(रू0 इक्कीस लाख उन्नीस हज़ार पाँच सौ मात्र)	

नोट:- उक्त निकाय को इस वित्तीय वर्ष में आवंटित की गयी कुल धनराशि के सापेक्ष सम्पूर्ण आवंटित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की जा रही है। कार्य को पूर्ण कराने हेतु अवशेष धनराशि रू0 8.683 लाख उक्त निकाय द्वारा स्वयं के स्त्रोत से वहन की जायेगी।

Digitally Signed by संजय

कुमार तिवारी

Date: 30-12-2023 18:53:45

Reason: Approved